नाम न्यायालय

केस संख्या 39/2018 प्रा पत्र (पत्थरगढ़ी)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/12/19	अधिवक्ता प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण सामिल जरिये डीम एडि से सामिल जाकर डीम एडि कराई की रशीदे पेश की गयी जो शामिल पत्रावली किया गया। मामले को अधिक समय हो चुका है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LRA Act का पेश किया जाकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम गौशाला तहसील चौमूं के स्थित चरागाह ख. नं. 4037/2 रकबा 0.11 हे० सपना अन्य खातेदारी कृषि भूमि पर बारानी काश्तकार खातेदार काबिज चले आ रहे हैं उक्त कृषि को काफी मेहनत व काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ हेतु काबिल काश्त बनाया है तथा मौके सरकारी भूमि करते चले आ रहे अप्रार्थीगण अवैध रूप प्रार्थीगण की कृषि की सीमा को नष्ट करते हैं व आये दिन कर्मचारियों के जरिये फसल

उपखण्ड चौमूं R...

फर्द अहकाम

जमाउद्दीन प्रसाद वगैरा **बनाम** रुक्मान देवी व अन्य

म न्यायालय

स संख्या 39/2019 प्रा. पत्र पत्थरगढी

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		व प्राकृतिक स्वरूप पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करते है अप्रार्थीगण सेराया वगैरह ने अधिक है और आर्थिक लगान के आधार पर आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करते है तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक काश्त करने मे व्यवधान कारित करते है सीमा चिन्हो को आये दिन नष्ट भ्रष्ट करते रहते है जिससे प्रार्थीगण का शांति पूर्वक काश्त करना दूभर हो गया है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सेराया 20 के यहां एक प्रा. पत्र पेश कर सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी सेराया 20 द्वारा दिनांक 10/6/2019 को आदेश क्रमांक कू. अ./2019/1961 दिया तथा आदेश की पालना मे दिनांक 26/06/2019 को खसरा 4037/2 रकबा 0.11 है का सीमाज्ञान करने हेतु मेप शाखा रिकार्ड के मौके पर पटवारी हलका व [illegible] खस. नं 4042 व 4029	

उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

जगदीश प्रसाद **बनाम** ग्राम पंचायत पंचायत

नाम न्यायालय

केस संख्या 39/2019 ग्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		मौजूदा चार्ट को मुताबिक दीवार से भारी मापकर उक्त चार्ट बनाकर ख.नं. 4037/2 रकबा 0.11 हे० भूमि की सीमांकन सीमाओं कराकर मौके पर निशानदेही कराये गये तथा उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 19 को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 4037/2 रकबा 0.11 हे. का सीमांकन दिनांक 26/6/2019 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 20 व उसके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने में किसी भी प्रकार की बाधा, रुकावट पैदा ना तो स्वयं करेगा ही अपनी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वकील से करवायेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 20 प्रार्थीगण की उक्त भूमि खातेदारी का सीमांकन व पत्थरगढ़ी ख़सरा मौके पर सुनिश्चित करें।	

आदेशानुसार तहसीलदार

ही पचोरिया

फर्द अहकाम

जगदीश प्रसाद उपरोक्त बनाम रुपनारायण देवी पचोरिया

नाम न्यायालय

केस संख्या 39/2019 प्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आपत्ति आराजी के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमू के आदेश क्रमांक दिनांक 26/06/2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया गया था। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26/06/2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते	

... अधिकारी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

जगदीश प्रसाद वगै. बनाम द्रोपदी देवी व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 39/2019 प्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		हुये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें मामला हेतु तहसीलदार व तहसील चौमूं को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 11/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 08:43:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: